न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —28 / 2020

अनवान : —

1. दलीप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. हरदत पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. विजयसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. जयसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मनफुल पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. धापां पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. मीरा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. सावित्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— भानुप्रताप सिंह वादीगण
श्री राजेन्द्र सहारण प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 19/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं 162 / 151 के खसरा सं0 212 / 3 की 3.060 है0 बारानी खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी मनफुल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा पीथाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। पीथाराम के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 मनफुल के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि [illegible] कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 मनफुल के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि के अलावा भी प्रतिवादी सं 1 मनफुल के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि मे वादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं 6 ने अपना जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी हरदत पुत्र मनफुल निवासी मुन्सरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी जमाबंदी मुन्सरी सवंत 2070–73 खाता सं 162/151 प्रदर्श 1 जमाबंदी मुन्सरी खाता सं 127/120 प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2042 खाता सं 48/43 प्रदर्श 3 जमाबंदी भू0 प्र0 विभाग प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुन्सरी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादीगण ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं 162/151 के खसरा सं0 212/3 की 3.060 है0 बारानी खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी मनफुल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि खातेदारी कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 1 मनफुल के नाम वाद भूमि के अलावा भी अन्य कृषी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी सं 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं 162/151 के खसरा सं0 212/3 की 3.060 है0 बारानी खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी मनफुल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी सं 1 मनफुल का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण को बहिस्सा बराबर के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ